दिनांक 05.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 09/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बांदा/थाना कोतवाली नगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 लाख रूपये नगद बरामद**

दिनांक 04.05.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त अनिकेत उर्फ रोहित को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बांदा एवं मध्यप्रदेश व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनिकेत उर्फ रोहित निवासी कडिया थाना बोड़ा जनपद राजगढ़ मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–चोरी के 02 लाख रूपये नगद।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना शाहपुर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 05.10.2024 को थाना शाहपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पलड़ी बाईपास के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रमोद को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना शाहपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना शाहपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रमोद निवासी रूहालकी किशनपुर थाना बहादराबाद जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद मुरादाबाद/थाना कोतवाली नगर

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 03 लाख 02 हजार रूपये नगद**
- **04 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 05.10.2024 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1–तुषार उर्फ नानू उर्फ नोनू 2–अमित 3–अभिषेक 4–अर्जुन को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 03 लाख 02 हजार रूपये नगद, 04 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 30.09.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–तुषार उर्फ नानू उर्फ नोनू निवासी सब्जी मण्डी हरथला थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद।

2–अमित निवासी रामलीला ग्राउण्ड हरथला थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद।

3–अभिषेक निवासी डबल फाटक थाना कटघर जनपद मुरादाबाद।

4–अर्जुन निवासी रामलीला ग्राउण्ड हरथला थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–लूट के 03 लाख 02 हजार रूपये नगद।

2–04 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मेरठ/थाना लोहियानगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 04/05.10.2024 को थाना लोहियानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नरहाडा रोड के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की

नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त दिलशाद उर्फ दिल्लू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना लोहियानगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दिलशाद उर्फ दिल्लू निवासी बुनकरनगर थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ, हालपता ग्राम सलेमपुर थाना लोहियानगर जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–लूट के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद पीलीभीत/थाना हजारा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के सोने के आभूषण**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 05.10.2024 को थाना हजारा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भुरजनिया से शारदापुरी जाने वाले रास्ते में कुण्डा पुल के पास से

03 अभियुक्तों 1–अर्जुन 2–जशनदीप 3–अरमनदीप उर्फ सन्नी को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के सोने के आभूषण, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.09.2024 को थाना हजारा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हजारा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना हजारा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अर्जुन निवासी ग्राम अर्जुनपुर थाना माधोटांडा जनपद पीलीभीत।

2–जशनदीप निवासी ग्राम कजरी निरंजनपुर थाना सेहरामऊ उत्तरी जनपद पीलीभीत।

3–अरमनदीप उर्फ सन्नी निवासी ग्राम अर्जुनपुर थाना माधोटांडा जनपद पीलीभीत।

बरामदगी

1–लूट के सोने के आभूषण।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना महेवाघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना महेवाघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–राजकुमार 2–अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हाथरस/थाना चंदपा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना चंदपा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अमित उर्फ सीटू को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————